

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०-38/2019-20

आदेश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
31.05.2019	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, गोईलकेरा का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, गोईलकेरा को स्मारित करें। अगली तिथि 29.06.2019 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 29.06.2019 को उपस्थापित करें।</p>	
29.06.2019	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, गोईलकेरा का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, गोईलकेरा को स्मारित करें। अगली तिथि 20.07.2019 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 20.07.2019 को उपस्थापित करें।</p>	
20.07.2019	<p align="center">आदेश</p> <p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, गोईलकेरा के पत्रांक- 185, दिनांक- 12.07.2019 द्वारा जाँच प्रतिवेदन दिनांक 19.07.2019 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, गोईलकेरा ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक आनन्द हुरद, पिता- स्व0 मसीह प्रकाश हुरद, जाति- मुण्डा (अ.ज.जा.), ग्राम- गोईलकेरा, थाना- गोईलकेरा, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए" / "बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। अंचल अधिकारी, गोईलकेरा के प्रतिवेदनानुसार आवेदित आवासीय भूमि मौजा- गोईलकेरा क्रिस्तान टोली, थाना नं०- 530, थाना- गोईलकेरा, खाता नं०- 64, प्लॉट नं०- 208, रकवा-0.08 ए0 भूमि क्रेता सोमा लोमंगा, पिता- एतवा लोमंगा, ग्राम- साउड़ीउली, जाति- मुण्डा (अ.ज.जा.), थाना- गोईलकेरा, जिला- प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया।</p> <p>जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक आनन्द हुरद, पिता- स्व0 मसीह प्रकाश हुरद, जाति- मुण्डा (अ.ज.जा.), ग्राम- गोईलकेरा, थाना- गोईलकेरा, जिला प० सिंहभूम के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते हैं। आम इश्तेहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।</p> <p>बिक्रेता एवं क्रेता का थाना- गोईलकेरा, जिला- प० सिंहभूम के निवासी हैं। बिक्रेता एवं क्रेता का जाति मुण्डा (अ.ज.जा.), समुदाय के सदस्य हैं। बिक्रेता उक्त वर्णित भूमि ईलाज एवं अन्य घरेलु कार्यों हेतु बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात् बिक्रेता को गोईलकेरा अंचल अंतर्गत रकवा 6.24 ए0 अवशेष भूमि बचता है। अंचल अधिकारी, गोईलकेरा द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन बिक्रेता आनन्द हुरद, पिता- स्व0 मसीह प्रकाश हुरद, जाति- मुण्डा (अ.ज.जा.), ग्राम- गोईलकेरा, थाना- गोईलकेरा, जिला प० सिंहभूम उक्त भूमि 1,75,000/- (एक लाख पचत्तर हजार) रुपये में उक्त क्रेता को बेचना चाहते हैं। राजस्व एवं निबंधन विभाग द्वारा निर्धारित दर अथवा क्रेता एवं बिक्रेता द्वारा तय मूल्य में जो अधिक है दर पर, निबंधन शूल्क अदा कर बेचने की स्वीकृति दी जाती है।</p> <p>आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें।</p>	